

मामलों का विवरण

नौसेना पावर लिमिटेड बनाम।

पंजाब राज्य शक्ति निगम सीमा (2023 की सिविल अपील संख्या 2425 आदि)

09 अक्टूबर, 2023

[संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:प्रतिवादी द्वारा मासिक शुल्क की कटौती की वसूली से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और ए. एन. आर. मामले में किया था। [2017] 14 एससीआर 301:(2018) 11 एस. सी. सी. 508 दिनांक 05.10.2017, क्या वही मुद्दा फिर से उठाया गया है।

लागत-अधिरोपण-नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और ए. एन. आर. फैसले के बाद, प्रत्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न आवेदनों का नेतृत्व किया-उपरोक्त फैसले के अनुपालन के लिए अपीलकर्ता के नेतृत्व में दो अवमानना याचिकाएं भी दायर की गईं-अवमानना याचिकाओं का निपटारा आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिवादी को राशि का भुगतान करने के निर्देश के साथ किया गया था-याचिकाएं भी नियामक आयोग के समक्ष दायर की गईं-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का प्रस्तुतिकरण यह था कि सभी मुद्दों को निर्णय में पहले और साथ ही प्रतिवादी के नेतृत्व में विभिन्न आवेदनों में निपटाया गया था:

आयोजित किया गया:जब मुद्दों की जांच की गई, तो अदालत ने पाया कि एक ही बात को बार-बार केवल भुगतान न करने के प्रयास के रूप में उठाया जा रहा है, जब तक कि अवमानना की कार्यवाही में उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया गया-दिनांकित आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता (आईडी1) (दूसरी अवमानना याचिका) का अर्थ इस अदालत द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के तहत भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग करना नहीं है-जो देखा गया वह यह था कि कुछ पहलू उठाया गया था जो वास्तव में नए विवाद की प्रकृति में था-अदालत ने प्रतिवादियों को 'भविष्य के सभी विवादों' को उठाने से नहीं रोका, बल्कि 714

713

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

यह समय-समय पर प्रचुर मात्रा में स्पष्ट किए गए मुख्य निर्णय पर प्रभाव को अस्थिर करने के लिए नहीं हो सकता है-दूसरी अवमानना के सामने खुद को असहाय पाते हुए और गंभीर परिणामों की संभावना के साथ, उन्होंने भुगतान करने के लिए ऑफ़रिंग द्वारा उत्पन्न परिणामों से बाहर निकलने की कोशिश की-भुगतान इस न्यायालय द्वारा मात्रा के रूप में दिए गए अभेद्य के संदर्भ में किया गया था और इस प्रकार, जो करने की मांग की गई थी वह वास्तव में उसी मुद्दे को फिर से खोलना था-विवादित आदेश ने केवल याचिका को बनाए रखा है और इसका मतलब मुकदमे का एक और दौर होगा, और यह 2017 के फैसले के बाद से पिछले छह वर्षों से जारी है-इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि विवादित 40.00 लाख और रु। 25.00 लाख, क्रमशः।[पैरा 20,21,22,23]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब राज्य बिजली निगम

लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और एन. आर. (2018) 11 एससीसी 508:[2017] 14 एस. सी. आर. 301-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 2425।पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, चंडीगढ़ के 2021 के पी. एन. No.49 में दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से। के साथ

2023 की सिविल अपील संख्या 2426।

नौसेना पावर लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 716

715

रूपः

मुकुल रोहतगी, डॉ. ए. एम. सिंघवी, पराग पी. त्रिपाठी, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, महेश अग्रवाल, अंशुमन श्रीवास्तव, अंकित प्रसून, अविष्कार सिंघवी, निशांत राव, सुश्री प्रिया धनखड़, वरुण, विवेक कुमार सिंह, अदितिया, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री अनुराधा दत्त, अनीश कपूर, सुश्री निकिता सूरी, सुश्री पंखुड़ी बुधिराजा, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी. आर्यमा सुंदरम, एम. जी. रामचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, आनंद के. गणेशन, निकुंज दयाल, प्रमोद दयाल, अमल नायर, अभिषेक गुप्ता, सुश्री सृष्टि खिंडारिया, सुश्री शिवानी वर्मा, अनीश बजाज, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय किशन कौल, जे।

1. प्रत्यर्थी द्वारा मासिक शुल्क की कटौती की वसूली से संबंधित विवाद ने बिजली अधिनियम, 2003 (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत कार्यवाही को जन्म दिया, जो नियामक आयोग से अपीलीय न्यायाधिकरण तक गया और अंततः इस न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने नाभा में फैसले के संदर्भ में इस मामले पर विचार किया

पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और एन. **(2018) 11 एससीसी 508**।

2. जिस सीमित पहलू पर इस न्यायालय द्वारा राशि के एक हिस्से के रूप में राहत दी गई थी, उसका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

आई. अपीलार्थी कोयले की धुलाई लागत, कोयले की धुलाई के माध्यम से खदान स्थल से परियोजना स्थल तक परिवहन के लिए हकदार है, जिसमें उस अवधि के लिए सड़क परिवहन की लागत शामिल है जहां यह आवश्यक था।

ii. कोयले का सकल कैलोरी सी मूल्य (जी. सी. वी.) परियोजना स्थल पर लेना होगा।

iii. अपीलार्थी को उसके परिणाम के रूप में देय राशि इस तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रेषित की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

आदेश, जिसमें विफल रहने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा (साधारण ब्याज)

3. प्रत्यर्थी ने उपरोक्त सिविल अपील में एम. ए. No.1562/2017 का नेतृत्व करते हुए राज्य आयोग को 05.10.2017 के उपरोक्त रिपोर्ट किए गए निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा देय राशि निर्धारित करने और प्रत्यर्थी को भुगतान करने के लिए उचित समय देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई और कहा कि यह प्रतिवादी का काम है कि वह देय राशि की गणना करे और उसके बाद निर्णय के तहत देय राशि का वितरण करे, जो आदेश की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

4. प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अगला प्रयास एक समीक्षा याचिका सिविल No.165/2018 के माध्यम से था, जिसमें मुख्य निर्णय में ही आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसे 06.02.2018 पर यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि अभिलेखों को देखने के बाद अभिलेख के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है।

5. उपरोक्त कार्यवाही के बावजूद, अपीलार्थी (नाभा पावर लिमिटेड) को राशि का भुगतान नहीं किया गया और इस प्रकार, उन्होंने अवमानना याचिका नं.1277-1278/2018 (भुगतान जारी न

किए जाने से व्यथित 'प्रथम अवमानना याचिका' के रूप में संदर्भित। इस अवमानना याचिका को तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के नेतृत्व में एक अन्य अवमानना याचिका के साथ टैग किया गया था, जो हमारे सामने एक अपील में दूसरे अपीलार्थी थे। क्रमशः 07.08.2019 और 03.09.2019 की इन अवमानना कार्यवाही में पारित आदेशों में, समान शब्दों में, एक बार फिर विवाद से निपटा गया। इस न्यायालय द्वारा 05.10.2017 पर सुनाए गए मुख्य निर्णय का उल्लेख करके, पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उपरोक्त को पढ़ने पर, नीचे दिए गए निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है: “उपरोक्त को पढ़ने पर, जो बात स्पष्ट हो जाती है और निर्णय से जो बात स्पष्ट हो जाती है, वह यह है कि सूत्र में, एफ. सी. ओ. ए. एल. एन. और पी. सी. वी. एन. दोनों कोयले की लागत/सकल कैलोरी सी मूल्य हैं जो वास्तविक प्रकृति के हैं। ऐसा होने पर, जब सूत्र में पी. सी. वी. एन. की बात की जाती है, तो यह स्पष्ट होता है कि जिसे संदर्भित किया जाता है वह कोयले का भारित औसत सकल कैलोरी सी मूल्य है जैसा कि परियोजना स्थल पर प्राप्त होता है, और इसमें कुल नमी की मात्रा शामिल होती है जिसे परियोजना स्थल पर मापा जाता है। समान रूप से, 717 में एफ. सी. ओ. ए. एल. एन. का क्या अर्थ है

नौसेना पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.]

718

सूत्र, बिना धोए हुए कोयले की खरीद की वास्तविक लागत है, जिसमें बिना धोए हुए कोयले का वास्तविक ग्रेड शामिल होगा जो कोयला कंपनी द्वारा पी. एस. पी. सी. एल. को प्रदान किया जाता है। इस मामले में, हमारा विचार है कि निर्णय का अक्षर और आत्मा दोनों में पालन किया जाना चाहिए, सूत्र को उपरोक्त रूप में काम करके, और परिणामस्वरूप, अंश और भाजक दोनों में विदेशी संकेतों को हटा दिया जाना चाहिए।”

6. इस प्रकार, उपरोक्त से पता चलता है कि न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्णय का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और आदेश की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश के परिणामस्वरूप राशि का भुगतान करने के निर्देश के साथ अवमानना याचिकाओं का निपटारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भुगतान के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि में देरी और भ्रम पैदा करने का प्रत्यर्थी का यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ।

7. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 07.10.2019 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया, जिसमें कुछ अवमाननापूर्ण कार्यों पर प्रकाश डाला गया और प्रत्यर्थी से गणना में सुधार करने और बकाया का भुगतान करने का आह्वान किया गया। इसके तुरंत बाद, प्रत्यर्थी ने पहली अवमानना याचिका में एम. ए. No.2396-97/2019 दायर किया, जिसमें अदालत से अपीलार्थी को देय राशियों को उचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई। अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका (सी) No.1174-1177/2019 का नेतृत्व किया (जिसे 'दूसरी अवमानना' कहा जाता है)।

याचिका ')।

8. 25.11.2019 पर, प्रतिवादी के नेतृत्व में एम. ए. No.2396-97/2019 एफ. आई. को खारिज कर दिया गया था, जबकि अपीलार्थी को दिनांकित 05.10.2017 के फैसले के संदर्भ में भुगतान करने के लिए और बारह सप्ताह का समय दिया गया था।

9. ध्यान देने योग्य अगला विकास यह है कि प्रत्यर्थी ने बिजली अधिनियम की धारा 86 (1) (ए) के साथ पठित धारा 86 (1) (ए) के तहत एक बाद की याचिका का नेतृत्व किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी को दी गई राशि की वसूली के लिए विनियामक आयोग की मंजूरी मांगी गई थी। इसके तुरंत बाद, प्रत्यर्थी ने भी अपीलार्थी के नेतृत्व में दूसरी अवमानना याचिका का जवाब दिया।

10. प्रत्यर्थी ने 14.10.2020 पर अपीलार्थी को अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 11.6 और अनुच्छेद 11.7 के तहत विवाद की सूचना जारी की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

मासिक ऊर्जा बिलों पर विवाद करने वाले बिजली खरीद समझौते और 2020 के आई. ए. संख्या 106244 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विवाद सूचना को रिकॉर्ड पर लाने की मांग की गई थी।

11. दूसरी अवमानना याचिका का निर्णय 09.03.2021 पर यह राय देते हुए किया गया कि प्रतिवादी दिनांकित 05.10.2017 के आदेश का पालन नहीं करके अवमानना का दोषी था। प्रभावी अधिनियम में, इस न्यायालय ने बकाया देय राशि की गणना के लिए एक अनिवार्यता प्रदान की, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा 09.03.2021 पर समझा गया था और प्रत्यर्थी को 31.03.2021 और 31.05.2021 पर या उससे पहले दो समान किश्तों में भुगतान करने का निर्देश दिया।

12. जुलाई, 2021 में, प्रत्यर्थी ने विनियामक आयोग के समक्ष याचिका No.49/2021 का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ:

i. अपीलार्थी के खिलाफ निर्देश जो कोयले को धोने के उचित और सही खातों और विवरण की मांग करते हैं;

ii. कोयले की गुणवत्ता रिपोर्ट आदि।;

iii. रुपये की मूल राशि की वापसी। 386.80 करोड़; iv. विलंब भुगतान अधिभार।

13. अपीलार्थी ने उस याचिका की स्थिरता के खिलाफ प्रारंभिक आपत्ति दायर की और उक्त याचिका को गैर-रखरखाव योग्य होने के रूप में खारिज करने का अनुरोध किया। यह वह पहलू है, जिसका निर्णय दिनांक 06.04.2022 के विवादित आदेश द्वारा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी के नेतृत्व में दायर याचिका विचारणीय थी क्योंकि वे दिनांकित 09.03.2021 के आदेश के अनुसार नए विवादों के बराबर थे।

14. अब हम दूसरी अवमानना याचिका में दिनांकित 09.03.2021 क्रम में उपयोग किए गए वाक्यांशों की ओर रुख कर सकते हैं। इसने विवाद का चित्रण किया और इस तर्क पर ध्यान दिया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करने का एक और प्रयास किया जा रहा था। इस न्यायालय ने एक चार्ट प्रपत्र में दोनों अपीलों में आदेश से पहले और बाद की स्थिति का उल्लेख किया और कहा कि न्यायालय को इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दिनांकित आदेश का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद प्रत्यर्थी के वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय लिया, जैसा कि उस आदेश में देखा गया था, और कार्यवाही में यह कहने के लिए वापस आया कि प्रत्यर्थी यह सुनिश्चित करेगा कि आदेश का पूरी तरह से पालन किया गया है। यह भी देखा गया कि हालांकि प्रत्यर्थी का रुख यह था कि पूरी राशि का भुगतान किया गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट में इसे स्वीकार किया गया था 719

नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.] 720

कि प्रत्यर्थी की गणना के अनुसार भी बकाया था। उस राशि का भुगतान करने के आश्वासन पर, जिसके लिए उस आदेश में अभेद्य राशि दी गई थी, दो किश्तें दी गईं, जैसा कि अनुरोध किया गया था, जिसमें ब्याज या कोई अन्य घटक भी शामिल होगा, जो पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार स्वीकार्य होगा और भविष्य के शुल्कों के लिए भुगतान भी थे, जिनका भुगतान अपीलकर्ताओं के पक्ष में अनुबंध का अधिकार उत्पन्न होने पर करना होगा।

15. यह इस आदेश का पैरा 13 और 14 है, जिसने प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी को आयोग के समक्ष याचिका दायर करने का कारण दिया, जिसके परिणामस्वरूप विवादित आदेश पारित किया गया है। अनुच्छेद 13 और 14 को नीचे पढ़ा गया है:

“13. अंतिम पहलू जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह एक याचिका है जिसे उत्तरदाताओं की ओर से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी कि उनके दृष्टिकोण में, जी. सी. वी. के बिना धोए गए कोयले और धोए गए कोयले के लिए बनाए गए रिकॉर्ड से कुछ समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि उनके अनुसार अस्वीकृति अधिक काम करती है और उनकी आशंका यह है कि अवास्तविक रूप से जी. सी. वी. को भिन्न किया जा रहा है ताकि उत्तरदाताओं से बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पैदा की जा सकें। नोट के अनुसार वे जो तर्क देना चाहते हैं वह यह है कि उपज हानि और धोए गए कोयले की गुणवत्ता के मामले में विसंगति आमतौर पर तब होती है जब अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले को धोने की प्रक्रिया में अस्वीकृति की आड़ में मोड़ दिया जाता है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए था और यह बदले में जीसीवी के बेमेल होने का मुद्दा उठाता है। कुछ आंकड़ों के अवलोकन और आह्वान पर, यह उत्तरदाताओं का विचार है कि उनकी आशंका योग्यता के बिना नहीं है। इस प्रकार यह उनका निवेदन है कि इस पहलू को देखने के बाद, उत्तरदाताओं को समाधान से कम नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसा विवाद है जिसके लिए निर्णय की आवश्यकता होती है जिसके लिए संबंधित प्राधिकरण एस. ई. आर. सी. है और वे उक्त उद्देश्य के लिए मंच के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहते हैं जिसके लिए नोटिस जारी किया गया है।

14. हमने उपरोक्त याचिका की जांच की है और यह हमारा विचार है कि जहां तक निर्णय से उत्पन्न होने वाले अपीलार्थियों के प्रति उत्तरदाताओं की देनदारियों का संबंध है, मामला हमारे दिनांकित 05.10.2017 निर्णय और समय-समय पर आवेदनों पर पारित आदेशों के संदर्भ में बंद है। जिसे उठाया जाना कहा जाता है वह वास्तव में एक नए विवाद की प्रकृति में है। यदि यही स्थिति है, तो हमने उत्तरदाताओं को भविष्य के सभी विवादों को उठाने से नहीं रोका है जैसा कि हम चिंतित थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

कुछ पहलुओं का न्यायनिर्णयन जहां हमने अपीलार्थियों के दावों के कुछ हिस्से को स्वीकार किया और अपीलार्थियों के दावों के कुछ हिस्से को अस्वीकार कर दिया। हमारे विचार में, यह प्राधिकरण के लिए होगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या हमारे द्वारा दिए गए निर्णय और उपरोक्त संदर्भित हमारे द्वारा पारित आदेशों को देखते हुए उत्तरदाताओं द्वारा किए जाने वाले किसी भी दावे को वास्तव में किसी भी नए निर्णय के लिए खुला रखा जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि एस. ई. आर. सी. से संपर्क करने की स्वतंत्रता अनुबंध से ही उत्पन्न होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से उन अध्यायों को नहीं खोल सकता है जिन्हें बंद कर दिया गया है और जिनका ध्यान एस. ई. आर. सी. द्वारा अब उत्तरदाताओं द्वारा उठाए जाने वाले दावे पर निर्णय लेते समय रखा जाएगा।”

16. उपरोक्त आदेश उत्तरदाताओं की याचिका को दर्ज करता है कि जी. सी. वी. (सकल कैलोरी सी मूल्य) बिना धोए गए कोयले और धोए गए कोयले के लिए बनाए गए रिकॉर्ड से कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी क्योंकि उनके अनुसार अस्वीकृति अधिक काम करती है और उनकी आशंका यह थी कि अवास्तविक रूप से जी. सी. वी. को भिन्न किया जा रहा है ताकि उत्तरदाताओं से बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धताएं पैदा की जा सकें। यह याचिका से प्रतीत होता है, जैसा कि अदालत में नोट में प्रस्तुत किया गया है, कि धोए गए कोयले की उपज हानि और गुणवत्ता के मामले में विसंगति आमतौर पर तब होती है जब अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले को धोने की प्रक्रिया में अस्वीकृति की आड़ में मोड़ दिया जाता है, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी होना चाहिए था और इसके परिणामस्वरूप जीसीवी के बेमेल होने का मुद्दा पैदा होता है। प्रत्यर्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें बिना उपचार के नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह एक विवाद है, जिसके लिए निर्णय की आवश्यकता है, जिसके लिए संबंधित प्राधिकरण नियामक आयोग है।

17. इस न्यायालय ने पैरा 14 में स्पष्ट रूप से राय दी कि दिनांकित 05.10.2017 के निर्णय और समय-समय पर आवेदनों में पारित आदेशों से उत्पन्न होने वाला मामला बंद हो गया। जिसे उठाने की मांग की गई थी वह वास्तव में नए विवाद की प्रकृति में था और "यदि यह स्थिति है" तो हमने उत्तरदाताओं को "भविष्य के सभी विवादों" को उठाने से नहीं रोका है क्योंकि हम कुछ पहलुओं के निर्णय से संबंधित थे। यह संबंधित प्राधिकारी पर छोड़ दिया गया था कि क्या इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और समय-समय पर पारित आदेशों को देखते हुए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी दावे को वास्तव में किसी भी नए निर्णय के लिए खोला जा सकता है। यह और स्पष्ट किया गया कि विनियामक आयोग से संपर्क करने की स्वतंत्रता अनुबंध से ही उत्पन्न हुई थी,

लेकिन 'निश्चित रूप से' उस अध्याय को नहीं खोल सकता है जिसे बंद कर दिया गया था और जिसका ध्यान विनियामक आयोग द्वारा रखा जाएगा। कार्यवाही 721 थी।

नाभा पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.] 722

यह आशा और प्रत्यर्थी के लिए एक चेतावनी के साथ बंद किया गया कि अवमानना कार्यवाही के आवेदन या पुनरुद्धार के लिए आगे कोई अवसर नहीं होना चाहिए अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अंत में, यह भी कहा गया कि इस न्यायालय ने उस विवाद के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया था जिसे अब प्रत्यर्थियों द्वारा उठाया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था।

18. प्रत्यर्थी का निवेदन था कि जो किया गया था वह दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में था और आयोग की राय थी कि वह इस मुद्दे की जांच करेगा और इस न्यायालय का निर्णय दूसरी अवमानना याचिका में पारित दिनांक 1 के आदेश को देखते हुए परीक्षा को पूर्ववत् नहीं करेगा। कोयले के संबंध में लागत में वृद्धि के तथ्य का सबूत देने वाली जानकारी का कथित गैर-प्रकटीकरण, यह आरोप लगाया गया था कि हालांकि 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम का कैलोरी सी मूल्य प्रदान किया गया औसत चिह्न था, उच्च कैलोरी सी मूल्य के कोयले को कोयले के अस्वीकृति के रूप में निकाला गया था, जबकि कोयले के अस्वीकृति 2200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से कम होनी चाहिए थी। कोयले की अस्वीकृति का विवरण प्रदान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धोने का शुल्क अधिक था और कोयले की अस्वीकृति के निपटान से आय को ध्यान में नहीं रखा गया था। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि कोयले की धुलाई अपीलार्थी के एक धुलाई संचालक द्वारा की गई थी, हालांकि इसे प्रतिवादी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

19. अपीलार्थी का निवेदन था कि यह एक नई बोतल में वही शराब है। इन सभी मुद्दों को पहले निर्णय में और साथ ही प्रतिवादी के नेतृत्व में विभिन्न आवेदनों में निपटाया गया था। उन्होंने पहली अवमानना याचिका के साथ-साथ दूसरी अवमानना याचिका और प्रत्यर्थियों के नेतृत्व में एम. ए. एफ. आई. के जवाब का उल्लेख किया। ये आरोप, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी द्वारा धोए गए कोयले के जी. सी. वी. में वृद्धि, भुगतान करने के लिए सुलह की आवश्यकता, जी. सी. वी. में कथित वृद्धि को सही ठहराने के लिए एक ही विशेषज्ञ की राय और प्रत्यर्थी द्वारा पहली बार जारी की गई विवाद की एक ही सूचना के कारण मौद्रिक लाभ लेने के बारे में थे।

20. जब हमने इस मुद्दे की जांच की, तो हमें लगा कि एक ही बात बार-बार केवल भुगतान न करने के प्रयास के रूप में उठाई जा रही है, जब तक कि अवमानना की कार्यवाही में उन्हें भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। दिनांक 1 के आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता का अर्थ इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के तहत भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग करना नहीं माना जा सकता है। यह देखा गया कि कुछ पहलू उठाया गया था जो वास्तव में था

नए विवाद की प्रकृति में। न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को 'भविष्य के सभी विवादों' को उठाने से नहीं रोका, लेकिन यह समय-समय पर प्रचुर मात्रा में स्पष्ट किए गए दिनांकित मुख्य निर्णय पर प्रभाव को अस्थिर करने के लिए नहीं हो सकता है। दूसरी अवमानना के सामने खुद को असहाय पाते हुए और गंभीर परिणामों की संभावना के साथ, उन्होंने भुगतान करने के लिए ऑफ़रिंग द्वारा उत्पन्न परिणामों से बाहर निकलने की कोशिश की। इस प्रकार, भविष्य के विवाद में आदेश की तारीख 09.03.2021 के बाद की अवधि का संदर्भ होना चाहिए।²¹ भुगतान इस न्यायालय द्वारा मात्रा के रूप में दिए गए अभेद्यता के संदर्भ में किए गए थे और इस प्रकार, जो करने की मांग की गई थी वह वास्तव में उसी मुद्दे को फिर से खोलना था।

22. हम इस बात से अवगत हैं कि विवादित आदेश ने केवल याचिका को बनाए रखा है और इसका मतलब मुकदमे का एक और दौर होगा, और यह 2017 में फैसले के बाद से पिछले छह वर्षों से जारी है। इस प्रकार, यह कहना कि एक हानिरहित आदेश पारित किया गया था, एक सही स्थिति नहीं होगी, यह अधिक इसलिए है क्योंकि हमने समझाया है कि 'भविष्य के सभी विवाद' का क्या अर्थ था।²³ यह प्रस्तुत किया गया था कि वाशरी रिजेक्ट को संभालने और निपटाने की नीति 2021 से बदल गई है और एक अनुमोदित वाशरी ऑपरेटर की साइट पर कोयले को धोने की अवधारणा को साइट पर स्थानांतरित किया जा रहा है और नुकसान आदि अनुबंध के कार्यान्वयन के तरीके का हिस्सा नहीं हैं और इस प्रकार, यह उत्पन्न नहीं होगा। कोयले को अब सीधे परियोजना स्थल पर पहुँचाया जाता है और वहाँ धोया जाता है। इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आक्षेपित आदेश, जो कि हानिरहित प्रतीत हो सकता है, टिकाऊ नहीं है और यह प्रतिवादी का दिनांकित 05.10.2017 के निर्णय के तहत अपने दायित्व से बाहर निकलने का एक और प्रयास है, जिसे बार-बार विभिन्न आदेशों द्वारा समझाया गया है। इस तरह के प्रयास की न तो सराहना की जा सकती है और न ही इसके परिणामों के बिना छोड़ा जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच विवाद संविदात्मक विवाद की प्रकृति का होता है। आम तौर पर, संविदात्मक विवाद के मामले में लागत उत्तराधिकारी पक्ष के साथ जानी चाहिए। ऐसा अधिक होता है जहाँ एक पक्ष बार-बार आदेशों की कठोरता से बचने की कोशिश करता है। वास्तव में, दिनांकित 05.10.2017 निर्णय स्वयं वाणिज्यिक अनुबंध की व्याख्या के लिए कानूनी सिद्धांतों से पूरी तरह से निपटता था और उन सिद्धांतों को तब विचाराधीन अनुबंध पर लागू किया जाता था। कोयले का मूल्य निर्धारण समस्या का मूल बिंदु पाया गया, जिस पर निर्णय लिया गया। यही वह मुद्दा है जिसे फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है।

नौसेना पावर लिमिटेड बनाम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड [संजय किशन कौल, जे.]

24. इस प्रकार, हम महसूस करते हैं कि ऐसे मामलों में कुछ उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए और अपीलों को उन लागतों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए, जो वास्तव में अपीलार्थियों द्वारा वहन की गई थीं। यह उपरोक्त था, जो हमारे लिए पार्टियों से लागत का वास्तविक बिल भरने का आह्वान करने का कारण था। नाभा पावर लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, दोनों

अपीलकर्ताओं ने लागत के बिलों का नेतृत्व किया है। हालाँकि, अपीलार्थी, नाभा पावर लिमिटेड की ओर से पेश होने वाले कई वकील हैं और कुल चालान राशि रु. 1,95,80,081/- है। तलवंडी साहू पावर लिमिटेड के मामले में कुल चालान राशि रु. 1,67,40,563/- है। लागत का बिल भी प्रत्यर्थी के नेतृत्व में किया गया है और कुल चालान राशि Rs.34,81,500/- है।

25. शुल्क की इस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम नाभा पावर लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के पक्ष में लागत को संशोधित करने और निर्धारित करने पर विचार करते हैं। 40.00 लाख और रु। 25.00 लाख, क्रमशः।

26. अपीलों की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित आदेश को 4 सप्ताह के भीतर भुगतान करने के लिए उपरोक्त राशि के रूप में लागत के साथ अलग रखा जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान